प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **155/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Radhe Shyam Chauhan S/o Ram Swroop Chauhan Add: Gandhi Chowk ke pass, Kangarwada, Nagaur, Raj.

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांकः 15/10/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन अपील क्रमांक 329714925926331 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.07.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्रांक 7178850844 दिनांक 16.09.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/155/25/ 960–61 दिनांक 19.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर ने जरिये पत्राक एफ.2( )सू.अ/2025/1764–65 दिनांक 10.10.2025 से न्यायालय को प्रत्युंत्तर एवं अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 1764–65 दिनांक 10.10.2025 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरित अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवांब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ..15-10-25.... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर